राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 23/2021

श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप जाति मीना निवासी रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल

.......वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री सुनील कुमार गौड़

दायरा दिनांक: 04.02.2021 निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 860/1073 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 876/1076 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 890/1080 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल, खाता संख्या 127 खसरा नं0 1814 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 1816 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल, खाता संख्या 29 खसरा नं0 228 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 354/379 रकबा 1.13 है0, खसरा नं0 360 रकबा 0.90 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 है0 वाके ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल, खाता संख्या 25 खसरा नं0 10 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम जारेला तहसील मांगरोल, खाता संख्या 41 खसरा नं0 32 रकबा 1.73 है0, खसरा नं0 33 रकबा 1.50 है0, खसरा नं0 43 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.65 है0 वाके ग्राम गुरावदिया तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान पर श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप है। जिसको वादी हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान पर श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान पर श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 04.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/1297 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार हंसराज व श्यामसुन्दर दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है, ग्राम रामपुरा भगतान में हंसराज को ही श्यामसुन्दर के नाम से जाना व पहचाना जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान पर श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एवं छीतर लाल पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी ग्राम रामपुरा भगतान के आधार पर आराजी खाता संख्या 44 खसरा नं0 860/1073 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 876/1076 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 890/1080 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल, खाता संख्या 127 खसरा नं0 1814 रकबा 0.60 है0, खसरा नं0 1816 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल, खाता संख्या 29 खसरा नं0 228 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 354/379 रकबा 1.13 है0, खसरा नं0 360 रकबा 0.90 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.32 है0 वाके ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल, खाता संख्या 25 खसरा नं0 10 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम जारेला तहसील मांगरोल, खाता संख्या 41 खसरा नं0 32 रकबा 1.73 है0, खसरा नं0 33 रकबा 1.50 है0, खसरा नं0 43 रकबा 0.42 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.65 है0 वाके ग्राम गुरावदिया तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम हंसराज पुत्र रामप्रताप के स्थान पर श्यामसुन्दर उर्फ हंसराज पुत्र रामप्रताप दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner